

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 7

नागर विमानन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष		बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		9.75	167.00	176.75	9.41	190.96	200.37	4.40	214.93	219.33
पूंजी		45.25	...	45.25	37.95	...	37.95	58.60	...	58.60
जोड़		55.00	167.00	222.00	47.36	190.96	238.32	63.00	214.93	277.93
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.30	5.30	...	5.14	5.14	...	5.85	5.85
नागर विमानन										
2. नागर विमानन महानिदेशक	3053	3.00	17.00	20.00	3.00	16.46	19.46	3.15	18.53	21.68
	5053	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.35	...	2.35
जोड़		5.00	17.00	22.00	5.00	16.46	21.46	5.50	18.53	24.03
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	...	4.43	4.43	...	4.45	4.45	...	5.00	5.00
	5053	5.72	...	5.72	3.59	...	3.59	5.41	...	5.41
जोड़		5.72	4.43	10.15	3.59	4.45	8.04	5.41	5.00	10.41
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के हिस्से का भुगतान	3053	...	22.30	22.30	...	22.30	22.30	...	25.00	25.00
5. हज चार्टर्स के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	112.00	112.00	...	137.00	137.00	...	154.50	154.50
6. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को बेचे जाने वाले विमानन टर्बाइन ईंधन पर बिक्री कर के एवज में राज्य सरकारों को अदायगी	3601	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
7. सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	15.62	...	15.62	17.48	...	17.48	19.57	...	19.57
	7053	16.41	...	16.41	10.14	...	10.14	24.97	...	24.97
जोड़		32.03	...	32.03	27.62	...	27.62	44.54	...	44.54
8. अन्य व्यय	3053	6.75	3.50	10.25	6.41	3.15	9.56	1.25	3.50	4.75
	3601	...	0.15	0.15	...	0.12	0.12	...	0.05	0.05
जोड़		6.75	3.65	10.40	6.41	3.27	9.68	1.25	3.55	4.80
अन्य परिवहन सेवाएं										
9. रेलवे सुरक्षा आयुक्त	3075	...	2.35	2.35	...	2.37	2.37	...	2.53	2.53
घटाइए- कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3075	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
जोड़		...	2.31	2.31	...	2.33	2.33	...	2.49	2.49
10. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	4552	5.50	...	5.50	4.74	...	4.74	6.30	...	6.30
कुल जोड़		55.00	167.00	222.00	47.36	190.96	238.32	63.00	214.93	277.93
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
	विकास शीर्ष	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़
		समर्थन			समर्थन			समर्थन		
7.01 एयर इंडिया लि.	13053	...	675.30	675.30	...	699.57	699.57	...	445.44	445.44
7.02 इंडियन एयरलाइन्स लि.	13053	...	550.00	550.00	...	588.81	588.81	...	460.00	460.00
7.03 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	37.53	798.00	835.53	32.36	494.87	527.23	50.79	522.87	573.66
7.04 पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	...	126.45	126.45	...	33.05	33.05	...	127.00	127.00
7.05 भारतीय होटल निगम	13053	...	24.77	24.77	...	21.77	21.77	...	23.00	23.00
जोड़		37.53	2174.52	2212.05	32.36	1838.07	1870.43	50.79	1578.31	1629.10
ग. आयोजना परिव्यय										
1. नागर विमानन	13053	55.00	2174.52	2229.52	47.36	1838.07	1885.43	63.00	1578.31	1641.31

- इसमें मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।
- इस शीर्ष के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय और उपस्कर तथा सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को किए जाने वाले भारत के अंशदान के लिए भी व्यवस्था शामिल है।
- यह व्यवस्था नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए की गई है।
- यह व्यवस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सरकार द्वारा एकत्र किए गए विदेशी यात्रा कर में इसके हिस्से की अदायगी के लिए है।
- यह व्यवस्था हज चार्टर्स के प्रचालन के लिए एयर इंडिया लिमिटेड को आर्थिक सहायता की अदायगी के लिए है।
- यह व्यवस्था एयर इंडिया लिमिटेड सहित अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा संबंधित राज्यों में स्थित हवाईअड्डों से लिए गए विमानन टर्बाइन ईंधन पर बिक्री कर के भुगतान से छूट देने पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परित्यक्त राजस्व की

प्रतिपूर्ति के लिए है। यह स्कीम 1.12.1994 से समाप्त कर दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दावों के लंबित समाधान के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

7. इस शीर्ष के अधीन आबंटन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण व एयर इंडिया को बजटीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

8. यह व्यवस्था फ्लाई/ग्लाइडिंग क्लबों और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है।

9. इस शीर्ष के अंतर्गत व्यवस्था रेल यात्रा की सुरक्षा और प्रचालन से संबंधित रेलवे सुरक्षा आयोग के स्थापना व्यय और भारतीय रेलवे अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित कतिपय सांविधिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए है।

10. इस शीर्ष के अंतर्गत सकल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत का एक मुश्त प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु नागर विमानन क्षेत्र के लिए किया गया है।